केरल राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

के. ओ. वर्गीज और अन्य

अप्रैल 17,2003

[शिवराज वी. पाटिल और अरिजीत पासायत, जे. जे.]

सेवा कानून-सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950-धारा 34-केरल सेवा नियम, 1959-भाग III-राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों का अवशोषण-राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा-पेंशन दरों में वृद्धि- राज्य सरकार ने निगम को पेंशन का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया। केरल सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों के लिए-निगम ने वित्तीय कठोरता के कारण बढ़ी हुई पेंशन और महँगाई राहत के भुगतान के लिए कट-ऑफ तिथि तय की-- उच्च न्यायालय ने कट-ऑफ तिथि तय करने को तर्कहीन बताते हुए-अपील पर कहाः उच्च न्यायालय राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर जारी निगम के निर्देशों के प्रभाव और निगम के कट ऑफ डेट तय करने के अधिकार पर इसके प्रभाव की जांच नहीं कर रहा है-इसलिए मामला नए सिरे से जांच के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

कानूनों की व्याख्या-सांविधिक निर्माण-निगमन द्वारा और संदर्भ द्वारा क़ानून को अपनाना-चर्चा की गई।

अपीलार्थी-राज्य सड़क परिवहन निगम ने राज्य परिवहन विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को निगमित किया। उनकी सेवा शर्तों की रक्षा की गई थी। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 34 के तहत। 1978 में पेंशन का विकल्प चुनने वाले अन्य कर्मचारियों को भी इन कर्मचारियों के बराबर पेंशन दी गई। राज्य सरकार ने दिनांक 17.3.1984 के पत्र द्वारा निगम को केरल सेवा नियम, 1959 (केएसआर) के भाग III के संदर्भ में अपने कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया। निगम ने 5.5.1984 दिनांकित के पत्र द्वारा पत्र पर ध्यान दिया। 1992 और 1994 में जिस तारीख से राशि का भुगतान किया जाना है, उसे स्थगित कर दिया गया था क्योंकि निगम के पास पांचवें केरल वेतन आयोग के अनुसार पेंशन की बढ़ी हुई दर का भुगतान करने का कोई साधन नहीं था। उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर बढ़ी हुई दरों पर पेंशन और महँगाई राहत की घोषणा करने के लिए रिट याचिका दायर की। अपीलार्थी-निगम ने भी रिट याचिकाएँ दायर कीं। निगम ने तर्क दिया कि यह अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में एक निर्देश है, जबकि पेंशनभोगियों ने तर्क दिया कि सरकार ने निगम को केवल कुछ समय के लिए मामले को स्थगित करने की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि केएसआर के भाग III को अपनाने के बाद से बढ़ी हुई पेंशन और महँगाई राहत के भुगतान के लिए कट-ऑफ तिथि तय करने का कोई तर्क नहीं था; कि निगम द्वारा बनाए गए किसी भी नियम

या विनियमन के अभाव में केएसआर उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है; और यह कि राज्य परिवहन विभाग से स्थानांतरित कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को मिलने की तारीख से पेंशन और महँगाई राहत का भुगतान किया जाना है।

अन्य अपीलों में, उठाए गए सामान्य प्रश्नों के अलावा, गलत निर्धारण आदेशों के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली से संबंधित मुद्दा उठाया गया है।

अपीलकर्ता-निगम ने तर्क दिया कि वेतन संरचना निगम नियोक्ता का क्षेत्र है और उसके पास बढ़ी हुई पेंशन व मँहगाई भत्ता की कटौती की तारीख तय करने का विकल्प है; भले ही यह तर्कों के लिए स्वीकार किया जाता है कि सरकार का पत्र अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में एक निर्देश नहीं था, फिर भी निगम को मजदूरी संरचना तय करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया गया था और अच्छे और पर्याप्त कारणों से उसने कटौती की तारीखें तय कीं, उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था; कि अधिग्रहण दस्तावेज पर उच्च न्यायालय द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया है; और क्या केएसआर निगमन द्वारा या संदर्भ द्वारा लागू था, यह उच्च न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया है और यह उन कारकों में से एक हो सकता है जिन पर विचार किया जाना था, लेकिन यह इस मुद्दे पर कोई निर्धारक बल नहीं था कि क्या निगम के पास वित्तीय

कठोरता आदि जैसे कई प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक अलग कट ऑफ तिथि तय करने की शक्ति है।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारियों को जो कुछ भी अभिग्रहण अधिसूचना द्वारा दिया गया था वह उन कर्मचारियों को भी दिया जाना था जिन्हें विभाग से निगम में स्थानांतरित किया गया है; कि कट ऑफ तिथि को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही यह स्वीकार किया जाए कि निगम की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, पुराने पेंशनभोगियों को उनके वैध पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश में कोई कमजोरी नहीं है; कि एक अलग कट ऑफ तिथि तय करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि निगम ने दिनांक 5.5.1984 के पत्र द्वारा राज्य सरकार के दिनांक 17.3.1984 के पत्र पर ध्यान दिया, जिसके द्वारा उसने निगम को अपने कर्मचारियों को केरल सेवा नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया था; और यह कि यह निगमन द्वारा एक क़ानून को अपनाना था न कि संदर्भ द्वारा।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय द्वारा

निर्धारितः 1.1. तत्काल मामले में हकदारी को लेकर कोई विवाद नहीं था लेकिन यह उस तारीख से संबंधित था जिससे भुगतान किया जाना था। उच्च न्यायालय का यह मानना कि केएसआर भाग III के पूर्व में अपनाने

के कारण किसी भी कट ऑफ तिथि का कोई सवाल ही नहीं था,प्रथमदृष्टया सही नहीं है। निगम का आरम्भ से मत यह था कि उसने वह तिथि निर्धारित की है जिससे भुगतान किया जाना है और इस प्रयोजन हेतु सरकार के पत्र पर निर्भर किया है। क्या पत्र सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 34 के अंतर्गत एक निर्देश गठित करता है, एक मुद्दा है, जिससे अनेक मुद्दों जैसे सरकार के धारा 34 के अंतर्गत विशेष निर्देश जारी करने से भिन्न निगम की भिन्न तिथि निर्धारित करने की शक्ति जैसे अन्य मुद्दे जुड़े हुए हैं। यदि यह निर्धारित भी किया जाए कि पत्र विशेष निर्देश की प्रकृति के रूप में नहीं था फिर भी अन्य मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता थी। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया गया। पत्र दिनांक 05.05.1984 का क्या प्रभाव था और उसका निगम के कट ऑफ डेट निर्धारित करने का प्राधिकार, यदि कोई था, पर क्या प्रभाव था को उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षित नहीं किया गया।

भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्ट (श्रीमती) ई. लाकट्स, [1997] 7 एस.सी.सी. 334 और राजस्थान राज्य और अन्य बनाम अमृतलाल गांधी और अन्य,[1997] 2 एस.सी.सी. 342, पर भरोसा किया।

1.2. सभी रिट याचिकाओं में समान मुद्दे शामिल नहीं थे। उच्च न्यायालय का ध्यान उन कर्मचारियों के रुख पर केंद्रित था जो मूल रूप से राज्य परिवहन विभाग से संबंधित थे। उनके मामले अन्य कर्मचारियों की

तुलना में अलग आधार पर हैं, यहां तक कि पक्षों की दलीलों के अनुसार भी। इसलिए, विशिष्ट परिस्थितियों में उच्च न्यायालय में नए सिरे से विचार के लिए मामला वापस भेजा जाता है, ताकि वह पक्षों के संबंधित रुख से निपट सके। पक्षकार उच्च न्यायालय के समक्ष अपने-अपने पक्ष के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे और उच्च न्यायालय नए सिरे से मामला निर्णीत करेगा।

2.1. निगम के दिनांकित 5.5.1984 आदेश में पेंशन का भुगतान करने के प्रश्न पर केएसआर भाग III के संकेत पर विचार करने की आवश्यकता थी। केवल एक संदर्भ या दूसरे में क़ानून के उद्धरण और निगमन के बीच एक अंतर किया गया है। एक क़ानून आम तौर पर किसी विशेष पिछले क़ानून या उसमें किसी विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करने के बजाय इस विषय पर कानून का उल्लेख कर सकता है, ऐसे मामलों में एक संदर्भ का अर्थ यह माना जाता है कि कानून वैसा ही है जैसा कि इसके बाद पढ़ा जाता है जिसमें अभिग्रहण के समय के बाद के संशोधन शामिल हैं।

2.2. संदर्भित निगमन द्वारा कानून दो श्रेणियों में आता है। अर्थात् (i) जहाँ एक कानून विशिष्ट संदर्भ द्वारा किसी अन्य क़ानून के प्रावधानों को शामिल करता है जैसा कि अभिग्रहण के समय था और (ii) जहां एक क़ानून सामान्य संदर्भ द्वारा शामिल होता है। किसी विशेष विषय से

संबंधित कानून का एक वर्ग होता है। पूर्व मामले में, संदर्भित क़ानून में किए गए बाद के संशोधनों को स्वचालित रूप से अपनाने वाले क़ानून में नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी श्रेणी में यह माना जा सकता है कि विधायी आशय मूल कानून में समय-समय पर सामान्य संदर्भ द्वारा अपनाए गए विषय पर किए गए सभी बाद के संशोधनों को शामिल करना था।

2.3. पूर्ववर्ती मामले में, जिस क़ानून को संदर्भित किया गया है, उसमें संशोधन, निरसन या पुनः अधिनियमन का उस क़ानून पर भी प्रभाव पड़ेगा जिसमें इसे संदर्भित किया गया है; लेकिन बाद के मामले में निगमन क़ानून में संशोधन या निरसन द्वारा परिवर्तन का निगमित क़ानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह नियम कि किसी अधिनियम का निरसन या संशोधन, जिसे बाद के अधिनियम में शामिल किया गया है, बाद के अधिनियम या उसमें शामिल प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, चार अपवादों के अधीन है। वे हैं (i) जहां दोनों अधिनियम समरूपता में हैं (iii) जहां पहले के अधिनियम का संशोधन यदि बाद के अधिनियम में आयात नहीं किया जाता है तो यह पूरी तरह से अक्रियाशील हो जाएगा और (iv) जहां पहले के अधिनियम का संशोधन या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से बाद के अधिनियम को शामिल करता है। भले ही पहले के अधिनियम की केवल विशेष धाराओं को बाद के क़ानून में शामिल किया गया हो, लेकिन निगमित प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए, पूर्ववर्ती कानून के अन्य भागों, जो निगमित नहीं है, का संदर्भ आवश्यक व अनुमोदित हो

सकता है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्ववर्ती अधिनियम में परंतुक या अपवाद की प्रकृति का कोई प्रावधान जो निगमन द्वारा नहीं लाया गया है, उसे इस तरह से पढ़ा जा सकता है जो निगमित प्रावधान के अर्थ को सीमित कर दे।पूर्ववर्ती कानून के अन्य प्रावधानों का संदर्भ केवल शामिल किए गए प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनुमत है।

2.4. इसके अलावा निगमित अधिनियम के स्पष्ट आशय को पूर्ववर्ती अधिनियम के ऐसे प्रावधानों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता जिन्हें शामिल नहीं किया गया है। निगमित प्रावधान की व्याख्या में, न्यायालय को कभी-कभी निगमित क़ानून के संदर्भ में विवरणों में भिन्नताएं तैयार करने की आवश्यकता होती है। निगमन द्वारा विधान की योग्यता संक्षिप्त है जो कभी-कभी कठिनाइयों और अस्पष्टताओं जिनके पैदा होने की संभावना है, द्वारा असंतुलित होती है।

मरियप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, जे. टी. [1998] । एस. सी. 734, पर निर्भरता।

आवास और स्थानीय सरकार मंत्री बनाम हार्टनेल, [1965]। इला.ई.आर.490 (एच.एल.) और री वुड्स एस्टेट एक्स पार्टी, कार्य और भवन आयुक्त, (1986) 31 चण्डी.607,संदर्भित।

सदरलैंड द्वारा सांविधिक निर्माण Vol.2, तीसरा संस्करण, p.550 और पूरक [1956] p.119, संदर्भित।

3. विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में लेने पर, जिन्हें उच्च न्यायालय ने भी ध्यान में लिया, कर्मचारियों को कथित रूप से अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्देशों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अन्य मुद्दों की उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से जांच की जाएगी।

डी.एस.नकारा बनाम भारत संघ, AIR [1983] SC 130; केरल राज्य और अन्य बनाम एम. पद्मनाभन नायर, ए.आई.आर [1985] एससी 356; डॉ. उमा अग्रवाल बनाम। यू. पी. राज्य व अन्य, ए.आई.आर. [1999] एस.सी.1212 और भारत संघ बनाम पी.एन.मेनन, ए.आई.आर.[1994] एस.सी. 2221, संदर्भित।

डॉज बनाम शिक्षा बोर्ड, [1937) 302 यू.एस.74: 82 लॉ एडी. 58, संदर्भित।

"नॉर्थूट-ट्रेवेलियन रिपोर्ट, गेराल्ड रोड्स पब्लिक सेक्टर पेंशन, पीपी 18-19; एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वॉल्यूम 17,पी 575; हैल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, रीइश्यू-वॉल्यूम 16; प्रो. हैरी कैल्वर्ट का सामाजिक सुरक्षा कानून, पी.1; अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, 24.881 और कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, Vol.70 पी 423, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 6651-6654/2000.

केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.7.2000 के निर्णय और आदेश से डब्ल्यू. ए. सं.890/93, 258/97, 124 और 1998 का 2456।

साथ मे

C.A.Nos. 6656,6657,6655/2000,3487,3490-93/2003, 181-182 2002।

एल. नागेश्वर राव, एस. बालकृष्ण, पी. कृष्णमूर्ति, हरीश बीरन, जयंत मुथुराज, एम. के. डी. नम्बूदिरी। श्री नारायण झा, के. आर. शशिप्रभु, जॉन मैथ्यू, सुशील के. टेकरीवाल, बी. वी. दीपक, दिलीप पिल्लई, के. एम. के. नायर, सुश्री के. शारदा देवी, रॉय अब्राहम, हिमिंदर लाल और रणबीर सिंह यादव उपस्थित पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

अरिजीत पासायत, जे।

सी.ए सं. 6651-6654/2000, 6655/2000, 6656/2000, 6657/2000, एसएलपी (सी) संख्या।

6820/2001 6518-6521 / 2001 , सी. ए. सं. 181-182 / 2002

एस.एल.पी.(सी) संख्या 6820/2001 और 6518-6521/2001 में अनुमति दी गई।

चूंकि इन अपीलों में जहाँ तक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कुछ समानताएं हैं। इसलिए, इस सामान्य निर्णय द्वारा संबंधितों का निपटारा किया जाता है।

उत्तरदाताओं द्वारा केरल उच्च न्यायालय में इससे पहले कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिसमें राज्य के कर्मचारियों के बराबर बढ़ी हुई दरों पर पेंशन और महँगाई राहत प्राप्त करने की उनकी पात्रता के बारे में घोषणा करने की मांग की। वे केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (जिसे इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के कर्मचारी थे जो इन सभी अपीलों में अपीलार्थी है। हालाँकि मांगी गई राहत बिल्कुल समान नहीं थी, लेकिन विवादित फैसले द्वारा चार अपीलों का निपटारा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा किया गया था। दो रिट अपील रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थीं, जबकि दो निगम द्वारा दायर की गई थीं।

निगम का गठन 1.4.1965 को किया गया था; कुछ व्यक्ति जो तब राज्य परिवहन विभाग में कार्यरत थे, को निगम द्वारा निगमित कर लिया गया था; सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 34 के तहत निर्देशों के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 4936/TC4/64/PW 22.3.1965 के माध्यम से उनकी सेवा शर्तों को संरक्षित किया गया था। अधिसूचना की शर्त 11 व 12 के आधार पर राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को केरल सेवा नियम,1959 के भाग 3 की शर्तों के अनुसार पेंन्शन दी गई थी।

1978 में, पेंशन का विकल्प चुनने वाले अन्य कर्मचारियों को भी इन कर्मचारियों के बराबर पेंशन दी गई थी। 1992 में,(डब्ल्यू.ई.एफ.1.1.1992) महँगाई राहत के लिए पात्रता की बाद की तारीखें तय करके एक प्रस्थान किया गया था। 1994 में भी ऐसी ही स्थिति थी। जबकि सबसे पहले उदाहरण के लिए तय की गई तारीख 1.7.1992 थी, बाद के मामले के लिए इसे 1.11.1996 से संचालित होने का निर्देश दिया गया था, जब सरकार ने तारीख तय की थी 1.4.1994।

भारी अतिरिक्त लागत और जर्जर वित्तीय स्थिति इस तरह के स्थगन के इंगित कारण थे। राज्य सरकार के दिनांकित 24.9.1992 के एक पत्र पर भी निर्भर हुआ गया था जो इसके अनुसार अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में एक निर्देश था। इस पत्र के अनुसार, निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बढ़ी हुई राशि के भुगतान से संबंधित मामले को बेहतर समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। यह पत्र निगम के इस आशय के पत्र के जवाब में था कि चूंकि उसके पास पाँचवें केरल वेतन आयोग के अनुसार पेंशन की बढ़ी हुई दर भुगतान करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए जिस तारीख से राशि का भुगतान किया जाना है, को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। उक्त सरकारी पत्र (एक्स. पी. 1) की वास्तविक प्रकृति के बारे में विवाद का अत्यधिक विवरण है। जबकि निगम का रुख यह है कि यह अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में एक निर्देश है, पेंशनभोगियों ने यह रुख अपनाया कि सरकार ने केवल निगम को मामले को कुछ समय के

लिए स्थगित करने की अनुमति दी। रिट याचिकाकर्ताओं का रुख उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। इसने यह भी पाया कि सरकार ने निगम को केवल कुछ समय के लिए मामले को स्थगित करने की अनुमति दी, वास्तव में इसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सरकारी सेवा में कार्यान्वयन की तारीख से बकाया सहित पूरा भुगतान भी निगम द्वारा बाद में किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि 1991 तक पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ महँगाई राहत से संबंधित सभी आदेश निगम के पेंशनभोगियों को तारीखों में कोई अंतर किए बिना दिए गए थे। इसने अभिनिर्धारित किया कि एक्स. पी.-1 में जो उल्लेख किया गया है वह कुछ समय के लिए भुगतान के स्थगन से संबंधित है और संशोधित पेंशन लाभ वास्तव में कुछ समय बाद बकाया के साथ दिए गए थे। इसने आगे कहा कि चूंकि केएसआर के भाग III को अपनाया गया था, इसलिए बढ़ी हुई पेंशन और महँगाई राहत के भुगतान के लिए कट ऑफ तिथि तय करने का कोई औचित्य नहीं था। निगम द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या विनियमन के अभाव में, केएसआर उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। राज्य परिवहन विभाग से स्थानांतरित कर्मचारियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट थी कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने की तारीख से भुगतान किया जाना है। स्थानांतरण की शर्तों का संदर्भ दिया गया था। तदनुसार, प्रत्यर्थियों (रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी

गई,जबकि अपीलार्थी-निगम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

अपीलों के समर्थन में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित मामलों की जांच नहीं की है और पेंशनभोगियों की पात्रता के बारे में व्यापक रूप से विचार किया है, हालांकि रिट याचिकाएं समान राहत के लिए नहीं थीं। 1984 तक निगम में कोई पेंशन योग्य पद नहीं था। वेतन संरचना नियोक्ता-निगम का क्षेत्र है और उसके पास बढ़ी हुई पेंशन और महँगाई राहत के लिए कट ऑफ तिथि तय करने का विकल्प है। भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार किया जाता है कि सरकार का पत्र (एक्स. पी.-1) अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में एक निर्देश नहीं था, फिर भी निगम वेतन संरचना तय करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं था और जब अच्छे और पर्याप्त कारणों से उसने कटौती की तारीखें तय कीं, तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। कट ऑफ तिथि तय करने के लिए वित्तीय कठोरता एक प्रासंगिक कारक है। उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर कार्यवाही की जैसे कि लाभ प्रदान करने के संबंध में विवाद हो। जो बात वास्तव में विवाद में थी वह तारीखें थीं जबकि हकदारी के बारे में कोई विवाद नहीं है। अभिग्रहण के दस्तावेजों पर उच्च न्यायालय द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया है। यह केवल यह कहता है कि जब भी लाभ उद्भूत होते हैं, सुसंगत नियम, अधिसूचनाएं व सरकारी आदेश जो स्थानांतरण के तत्काल पूर्व प्रवर्तन में थे, लागू होंगे।

इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील जो मूल रूप से राज्य परिवहन विभाग में थे, ने निवेदन किया कि अभिग्रहण दस्तावेज खण्ड 11 व 12 स्थिति को स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी सरकारी कर्मचारियों को दिया गया था वह विभाग से निगम में स्थानांतरित करते हुए कर्मचारियों को भी दिया जाना था। परिलाभ उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना था जो स्थानांतरण की तारीख पर था। कट ऑफ डेट को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही यह स्वीकार किया जाए कि निगम की वित्तीय स्थिति विफल हो रही है, पुराने पेंशनभोगियों को पेंशन के उनके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए पेंशन का भुगतान किया जाता है और वृद्ध और अक्षम पेंशनभोगियों के लिए इसके सामाजिक-आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई कमजोरी नहीं है। "जैसे और जब ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं" अभिव्यक्ति लागू नियमों की पहचान के उद्देश्य से थी।

इसके अलावा सभी रिट याचिकाओं में समान मुद्दे शामिल नहीं थे। न्यायालय का ध्यान उन कर्मचारियों के रुख पर केंद्रित था जो मूल रूप से राज्य परिवहन विभाग से संबंधित था। उनके मामले अन्य कर्मचारियों की तुलना में एक अलग आधार पर खड़े हैं, यहां तक कि पक्षों की दलीलों के अनुसार भी। इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विशिष्ट परिस्थितियों में, हम महसूस करते हैं कि उचित मार्ग यह होगा कि मामले

को नए सिरे से उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाए, ताकि यह पक्षों के संबंधित रुख से निपट सके। पक्षकारों के लिए यह खुला रहेगा कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष अपने-अपने पक्ष के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करें जो मामले में नए सिरे से निर्णय करेगा।

कट ऑफ डेट तय करने के लिए नियोक्ता के पास अधिकार होने के सवाल कि, जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। निगम द्वारा एक अलग कट ऑफ तिथि तय करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि निगम ने पत्र दिनांकित 5.5.1984 द्वारा राज्य सरकार के दिनांकित 17.3.1984 के पत्र पर ध्यान दिया जिसके द्वारा उसने निगम को केरल सेवा नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया। यह निगमन द्वारा एक क़ानून को अपनाना था न कि संदर्भ द्वारा।

इस तर्क के उत्तर में अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि केएसआर निगमन द्वारा या संदर्भ द्वारा लागू होगा यह उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किया गया और यह एक कारक हो सकता है जिसपर विचार किया जाना था, परन्तु इसका निगम के अन्य सुसंगत कारकों जैसे वित्तीय कठोरता आदि को विचार में रखते हुए भिन्न कट ऑफ तिथि निर्धरित करने की शक्ति पर कोई निर्धारक बल नहीं था।

अन्य उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

इससे पहले कि हम उनके संबंधित विवादों से निपटें, यह आवश्यक है कि पेंशन की अवधारणा का अध्ययन करें। पेंशन के विभिन्न वर्ग हैं और विभिन्न शर्तें उनके अनुदान को नियंत्रित करती हैं। यह लगभग प्रदान की गई सेवाओं के लिए विलंबित मुआवजे की प्रकृति में है। भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 366 (17) में पेंशन की परिभाषा है, लेकिन यह परिभाषा व्यापक नहीं है। यह अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति को भुगतान है, उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए। यह एक व्यक्ति को भुगतान है, जिसने नियोक्ता के लिए उस समय सेवाएं प्रदान की थीं, जब वह लगभग अपने जीवन के गोधूलि क्षेत्र में था।

एक राजनीतिक समाज जिसका एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का लक्ष्य है, ने इसे वास्तव में, एक कल्याणकारी उपाय के रूप में पेश किया गया है जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व के इस विचार पर आधारित है कि जिन्होंने जीवन की उपयोगी अवधि के दौरान सेवा प्रदान की है, उन्हें दरिद्रता में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक सुरक्षा का उन्नतिशील सिद्धांत पश्चात्वर्ती दिन का विकास है और उसकी यात्रा उबड़-खाबड़ है। 1856 में एक शाही आयोग की स्थापना की गई थी ऑपरेटिव 1834 अधिनियम द्वारा स्थापित प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करने के लिए। आयोग की रिपोर्ट को "नॉर्थूट-ट्रेवेलियन रिपोर्ट" के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट अपनी आलोचना

में तीखी थी जब वह कहती है किः "सिविल सेवाओं में तुलनात्मक रूप से काम के हल्केपन और शारीरिक अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति के प्रावधान की निश्चितता, माता-पिता और बीमार युवाओं के मित्र को मजबूत प्रलोभन प्रदान करती है कि उनके लिए रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करें परिणामस्वरूप जनता जिस स्तर पर बोझ उठाती है, पहले उन अधिकारियों के वेतन के साथ जो खराब स्वास्थ्य के कारण अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहते हैं, और बाद में उन पेंशन के साथ जब वे उसी आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो शायद ही ऐसा होता कि उन लोगों द्वारा श्रेय दिया जाता है जिन्हें व्यवस्था के क्रियान्वयन को देखने का अवसर नहीं मिला है। (गेराल्ड रोड्स पब्लिक सेक्टर पेंशन, पीपी देखें। 18-19)

यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि आधुनिक समय में सार्वजनिक सेवाएँ उन लोगों द्वारा संचालित किया जाता है जो चयन के साथ तुलनात्मक रूप से कम उम्र में प्रवेश करते हैं कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से और आम तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को मौका मिलता है।

इसलिए, आइए हम जाँच करें; जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. (1983) एस. सी. 130 में कहा कि कोई भी पेंशन योजना किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है। उपलब्ध संसाधनों पर आधारित पेंशन योजना को यह प्रदान करना चाहिए

कि पेंशनभोगी जीवित रहने में सक्षम होगाः(i) मुक्त शालीनता, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान के साथ और (ii) सेवानिवृत्ति से पहले के स्तर पर यह दृष्टिकोण आलोचना के योग्य हो सकता है कि अगर भारत जैसा विकासशील देश एक कर्मचारी को सेवा के दौरान एक निर्वाह मजदूरी के रूप में प्रदान नहीं कर सकता है तो सेवानिवृत्ति में इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इसे एक छोटे से चित्रण से उचित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। एक टूटे हुए हाथ वाले व्यक्ति ने अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या वह पट्टी को हटाने के बाद पियानो बजा पाएगा। जब आश्वस्त किया गया कि वह ऐसा करेगा, तो रोगी ने जवाब दिया, "यह मजेदार है, मैं पहले नहीं कर सकता था।" ऐसा प्रतीत होता है कि शालीनता से जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि का निर्धारण करना कठिन है, आय और सेवानिवृत्ति आय के बीच उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिशत का चयन करना कठिन है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे-जैसे आत्मनिर्भरता कम होती जाती है, उसकी देखरेख व संस्थागत देखभाल की आवश्यकता बढ़ती है। कई लोग वास्तव में अतीत की तुलना में अब जीवित हैं। हम उनके और खुद के लिए ऋणी हैं कि वे जीवित हैं, न कि केवल अस्तित्व में हैं। किसी भी समाज में उसके विकास के विभिन्न चरणों में प्रचलित दर्शन उसके सामाजिक उद्देश्यों को गहराई से प्रभावित करता है। कानून उन मुख्य साधनों में से एक है जिसके द्वारा सामाजिक नीतियों को लागू किया जाता है और पेंशन का भुगतान नियमों

के अनुसार किया जाता है, जिसे सामाजिक सुरक्षा कानून प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है जिसका अर्थ है कि वे कानूनी तंत्र जो मुख्य रूप से व्यक्ति के लिए प्रावधान या पर्याप्त नकद आय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हैं, जब अन्य सामाजिक सेवाओं (जैसे कि मुफ्त चिकित्सा सहायता) द्वारा प्रदान किए गए लाभ के साथ लिया जाता है, ताकि ऐसा करने के सामान्य साधन विफल होने पर उसके लिए सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके।(प्रो.हैरी कैल्वर्ट का सामाजिक सुरक्षा कानून, पी.1 देंखे)

वर्तमान समय की धारणाओं के आलोक में देखा जाए तो पेंशन एक शब्द है जो लागू होता है, किसी ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर धन का भुगतान करना जो एक निश्चित आयु में सेवानिवृत्त होता है जिसे अक्षमता की आयु माना जाता है; भुगतान आमतौर पर प्राप्तकर्ता के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जारी रहता है। पेंशन के अनुदान के अंतर्निहित कारण देश के अनुसार अलग-अलग हैं। देश तक और एक योजना से दूसरी योजना तक। लेकिन मोटे तौर पर कहा गया है कि वे हैंः (i) सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्यों या उनके आश्रितों को वृद्धावस्था, विकलांगता या मृत्यु (आमतौर पर सेवा कारणों से) के लिए मुआवजे के रूप में, (ii) नागरिक कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति या विकलांगता लाभ के रूप में, और (iii) वृद्ध, विकलांग या मृत नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान के रूप में। देश के समाज सेवा कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के

अनुसार। प्रथम शीर्ष के तहत पेंशन बहुत प्राचीन हैं। दूसरे शीर्ष के तहत वे एक सदी से अधिक समय से कुछ देशों में किसी न किसी रूप में लागू हैं, लेकिन तीसरे शीर्ष के तहत आने वाले अपेक्षाकृत हाल के मूल के हैं, हालांकि वे सबसे बड़े परिमाण के हैं। पेंशन के बारे में अन्य विचार हैं दान, पितृत्व, आस्थगित वेतन, प्रदान की गई सेवा के लिए पुरस्कार, या सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में पेंशन (एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वॉल्यूम देखें। 17, p.575)। लेकिन ये विचार मनगढ़ंत हो गए हैं।

सरकार के सिविल कर्मचारियों और भारत में प्रशासित रक्षा कर्मियों को पेंशन भारत में अतीत में प्रदान की गई सेवा के लिए एक मुआवजा प्रतीत होता है। हालाँकि, जैसा कि डॉज बनाम शिक्षा बोर्ड, (1937), यू. एस.74:82 कानून एडी.58) में निर्धारित किया गया है। एक पेंशन मजदूरी के समान है जो एक नियोक्ता द्वारा पिछली सेवा के विचार में भुगतान किया जाता है और प्राप्तकर्ता को जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से होता है। यह इस अतिरिक्त योग्यता के साथ पेंशन के प्रति हमारे दृष्टिकोण के सबसे करीब प्रतीत होता है कि इसे आम तौर पर अवांछित अभाव से मुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

संक्षेप में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पेंशन केवल अतीत में दी गई निष्ठावान सेवा के लिए क्षतिपूर्ति नहीं है, लेकिन पेंशन का

भी एक व्यापक महत्व है, क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक न्याय का एक उपाय है जो जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जब शारीरिक और मानसिक शक्तियां उम्र बढ़ने के साथ घटनी शुरू हो जाती हैं और इसलिए, किसी को बचत पर वापस गिरना पड़ता है। ऐसी ही एक बचत तब होती है जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, आपके नियोक्ता के जीवन के सुनहरे दिनों में। अयोग्यता के दिनों में, आवधिक भुगतान के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इस शब्द को न्यायिक रूप से पिछली सेवा के विचार में दिए गए एक घोषित भत्ते या वजीफे के रूप में परिभाषित किया गया है या सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति को अधिकारों या परिलब्धियों का समर्पण किया गया है। इस प्रकार एक कर्मचारी को देय पेंशन लंबे और पर्याप्त सेवा से अर्जित की जाती है और इसे मुआवजे का एक आस्थगित हिस्सा कहा जा सकता है दी गई सेवा के लिए। एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि पेंशन के लिए सबसे व्यावहारिक कारण बुढ़ापे के कारण खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता है। कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है और बेरोजगारी से बच सकता है, लेकिन वृद्धावस्था और दरिद्रता में नहीं रह सकता है, अगर उसके पास सहारे के लिए कुछ भी नहीं है।

अंतर्निहित पेंशन योजना या एक कानून का स्पष्ट उद्देश्य अंतर्निहित प्रक्रिया की सूचना देना होना चाहिए तथा इसी अनुसार इसकी उदारवादी निर्वचन होना चाहिए तथा न्यायालय को ऐसे कानून को इस प्रकार से

निर्वचित नहीं करना चाहिए जो उसे असपष्ट बना दें।(अमेरिकन न्यायशास्त्र 24.881)

उपरोक्त विश्लेषण से तीन बातें सामने आती हैं:(i)यह कि पेंशन न तो ईनाम है और न ही अनुग्रह का विषय है, जो नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है और यह कि यह क़ानून यदि कोई हो, के अधीन एक निहित अधिकार बनाता है,(ii) पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पिछली सेवा के लिए भुगतान है; और (iii) यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है, उन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ताओं के लिए इस आश्वासन पर अथक परिश्रम किया कि वे अपने परिपक्व बुढ़ापे में संकट में नहीं पड़ेंगे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंशन की मात्रा एक निश्चित प्रतिशत है जो पहले प्राप्त किए गए परिलब्धियों से संबंधित है। इसका भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद भी त्रुटिहीन व्यवहार की एक अतिरिक्त शर्त पर निर्भर है।अर्थात्, सेवा अनुबंध की समाप्ति और इसे अनुशासनात्मक उपाय के रूप से कम या वापस लिया जा सकता है।

कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम। 70 पी 423 के अनुपात शीर्षक 'पेंशन' में सरकार द्वारा समय-समय पर उन व्यक्तियों को या उनके प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले आर्थिक भत्ते शामिल हैं जिन्होंने जनता की सेवा की है या सार्वजनिक सेवा में नुकसान या चोट का सामना किया है;

पाने के हकदार हैं जो भत्ते और दर और उनकी राशि; और ऐसी पेंशन प्राप्त करने और भुगतान करने की कार्यवाही।

अपने सख्त अर्थों में एक पेंशन अनुबंध का मामला नहीं है, और न ही यह किसी भी कानूनी दायित्व पर आधारित, यह केवल एक उपहार या उपदान है जो "संप्रभु की प्रशंसा और चेतना से उत्पन्न होता है", और इसे संप्रभु के विवेक पर दिया या रोका जा सकता है। यह ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी शर्तों पर प्रदान किया जा सकता है जो सरकार का कानून बनाने वाला निकाय निर्धारित करता है, और यह, अधिक से अधिक, कानून द्वारा दी गई अपेक्षा है। 'पेंशन' शब्द की तुलना 'बोनस', 'क्षतिपूर्ति' 'लाभ' और 'सेवानिवृत्ति भुगतान' से की गई है। एक पेंशन कोष से अलग किया जाना है, एक वार्षिकी निधि को जो एक वैधानिक के तहत स्वैच्छिक योगदान से आंशिक रूप से प्राप्त योगदान करने या योगदान करने से बचने का विकल्प है।

केरल राज्य और अन्य बनाम एम. पद्मनाभन नायर, एआईआर (1985) एससी 356 में यह कहा गया कि पेंशन और उपदान अब कोई इनाम नहीं हैं जो सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर वितरित किया जाएगा बल्कि यह उनके हाथों में मूल्यवान अधिकार है और संपत्ति और निपटान में कोई भी दोषपूर्ण देरी वास्तविक भुगतान तक वर्तमान बाजार दर पर ब्याज को शामिल करती है। इस विचार को दोहराया

गया डॉ. उमा अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, एआईआर (1999) एससी 1212

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ देशों में पेंशन के पैसे को गलत तरीके से रोकना आपराधिक अपराध बना दिया गया है और पश्चिमी देशों में यह देखा गया है कि पेंशन के पैसे को रोकने के आपराधिक अपराध कानून का कठोर अर्थान्वयवन होना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क़ानून का उद्देश्य पेंशनभोगी को धोखाधड़ी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है जब तक उसे पैसे का बिना शर्त भुगतान न हो जाए।

हैल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड, फोर्थ एडिशन, रीइश्यू-वाॅल्यूम.16 में, इस विषय पर निम्नानुसार अवलोकन किया हैः

> "पेंशन का अर्थ है, आवधिक भुगतान या एकमुश्त भुगतान। पेंशन, उपदान या अधिवर्षिता भत्ता का जिसके संबंध में राज्य सचिव संतुष्ट हैं कि इसका भुगतान ऐसी व्यवस्था को योजना के अनुसार किया जाना है जिसका उद्देश्य या उद्देश्यों में से एक विशेष रूप से सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान करना और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना और ऐसी एकमुश्त राशि के मामले के अलावा में जो कर्मचारी को भुगतान की गई थी,कि -

(1) योजना या व्यवस्था जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है या उत्तरी आयरलैंड की संसद द्वारा या अन्य साधन जो कानून का बल रखते हैं, या

(2) योजना या व्यवस्था के तहत लाभ अपरिवर्तनीय न्यास द्वारा सुरक्षित हैं जो किसी भी भाग के कानूनों के अधीन है, ग्रेट ब्रिटेन के; या

(3) योजना या व्यवस्था के तहत लाभ जो आश्वासन का अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं,जो किया जाता हैः

(ए) एक बीमा कंपनी जिसे बीमा कंपनियां अधिनियम, 1982 लागू होता है; या (बी) एक पंजीकृत अनुकूल सोसायटी; या (सी) औद्योगिक के तहत पंजीकृत एक औद्योगिक और भविष्य समिति और भविष्य समिति अधिनियम, 1965; या

(4) योजना या व्यवस्था के तहत लाभ जो विनियमन या अन्य साधन द्वारा सुरक्षित हैं, जो कानून का बल रखने वाले विनियमन या साधन नहीं है जिसमें ऐसी पेंशन, उपदान या इस तरह की अन्य सेवाओं के लिए राज्य की सेवा इस प्रकार अनियोजित व्यक्ति को दिए गए लाभ; या

(5) योजना या व्यवस्था जो एक अधिनियम द्वारा या कानून का बल रखने वाला अन्य साधन से स्थापित की जाती है, किसी भी भाग में यूनाइटेड किंगडम के बाहर राष्ट्रमंडल

और यह कि लाभों का भुगतान करने के लिए किया गया प्रावधान जो किसी भी अतिरिक्त संसाधन को ध्यान में रखते हुए और नियोक्ता, या संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसी भी कमी को पूरा करने के लिए ऐसे लाभों का पूरा भुगतान।

'पेंशन' में पेंशन का कोई भी हिस्सा शामिल होता है। पेंशन में शामिल नहीं हैः

(i) एक कर्मचारी का भुगतान जिसमें केवल एक वापसी शामिल है ब्याज के साथ या बिना ब्याज के अपने स्वयं के योगदान;

(ii) भुगतान का वह हिस्सा जो केवल एक जोड़ के लिए जिम्मेदार है। उस कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान के लिए योजना या व्यवस्था के अनुसार;

(iii) आवधिक भुगतान या एकमुश्त राशि, जहाँ तक उस भुगतान का संबंध है या एकमुश्त राशि वैधानिक मुआवजे

के तहत मुआवजे का प्रतिनिधित्व करती है। योजना और एक वैधानिक प्रावधान के तहत देय है जो 31 जुलाई, 1978 को या उसके बाद पारित किया गया हो।

यदि किसी मामले में राज्य सचिव संतुष्ट है कि योजना या व्यवस्था के अंतर्गत लाभ पूर्ण रूप से व मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक नहीं होने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए हैं तो यदि वह उचित समझे तो खण्ड 2 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकता से छूट प्रदान कर सकता है। ऐसी योजना या व्यवस्था के सम्बन्ध में जो अहस्तांतरणीय न्यास और संरक्षण है या ऐसी योजना व्यवस्था जिसका लाभ आश्वासन या वार्षिक अनुबंध द्वारा संरक्षित है, के शीर्ष 3 ए, 3 बी या 3 सी की आवश्यताओं से भी छूट दे सकता है।"

भारत संघ में बनाम पी. एन. मेनन, एआईआर (1994) एस. सी. 2221, में इस न्यायालय ने पाया कि न केवल पेंशन लाभों को संशोधित करने के मामलों में, बल्कि वेतनमान के संशोधन या लाभ बढ़ाने के लिए कुछ तर्कसंगत तारीखों पर कटौती की जाती है तो वह उचित आधार होना चाहिए और तय किया जा सकता है। कट ऑफ डेट को इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि अतिरिक्त वित्तीय खर्च शामिल है या यह

तथ्य कि नियुक्ति की शर्तों के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ पाने का हकदार नहीं है। (भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्ट (श्रीमती) ई. लैकेट्स, [1997] 7 एस.सी.सी. 334। वित्तीय स्थितियों के आधार पर एक कट ऑफ तिथि तय की जा सकती है जब एक नई पेंशन योजना बनाई जा रही हो।(राजस्थान राज्य और अन्य बनाम अमृतलाल गांधी और अन्य [1997] 2 एससीसी 342

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संदर्भ दिया कि निगम ने कोई विनियम नहीं बनाए थे और वह केएसआर के भाग 3 का अनुसरण करते हुए कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर कुछ शर्तों के अधीन पेंशन का भुगतान कर रहा था। उच्च न्यायालय के अनुसार यह स्थिति स्पष्ट करती है कि कट ऑफ डेट तिथि निर्धारण करने का कोई मामला नहीं था।

डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि यह इस आधार पर आगे बढ़ा जैसे कि विचार के लिए प्रश्न संबंधित हों बढ़ी हुई पेंशन और महँगाई राहत प्राप्त करने का अधिकार। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हकदारी के बारे में कोई विवाद नहीं था और विवाद उस तारीख का था जिसके लिए भुगतान किया जाना था। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि अतीत में केएसआर के भाग III को अपनाए जाने के बाद से किसी भी कट ऑफ तिथि का कोई सवाल ही

नहीं था। वही प्रथम दृष्टया सही नहीं है। निगम का रुख यह रहा है कि उसने भुगतान करने की तारीख तय की थी और उस उद्देश्य के लिए सरकार के एक्स. पी.-1 पत्र पर भरोसा किया गया था। क्या पत्र (एक्स.पी.-1) अधिनियम की धारा 34 के तहत एक निर्देश का गठन करता है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो कई मुद्दों से जुड़ा हुआ है जैसे अधिनियम की धारा 34 के तहत सरकार के किसी भी विशेष निर्देश के लिए एक अलग तारीख तय करने की निगम की शक्ति जैसे अन्य मुद्दे। भले ही यह माना जाए कि एक्स. पी.-1 में लिखा गया पत्र किसी विशेष निर्देश की प्रकृति का नहीं था, अन्य मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता थी। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया है।

जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता थी, उनमें से एक केएसआर भाग 3 का निगम के दिनांकित 5.5.1984 आदेश में पेंशन का भुगतान करने के प्रश्न पर संकेत था। एक क़ानून आम तौर पर किसी विशेष पिछले क़ानून या उसमें किसी विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करने के बजाय इस विषय पर कानून का उल्लेख कर सकता है, ऐसे मामलों में एक संदर्भ का अर्थ यह माना जाता है कि कानून वैसा ही है जैसा कि इसके बाद पढ़ा जाता है जिसमें अभिग्रहण के समय के बाद के संशोधन शामिल हैं। जैसा कि सदरलैंड ने सांविधिक निर्माण Vol.2, तीसरी संस्करण में उल्लेख किया था। p.550 और पूरक (1956), P.119।

संदर्भित निगमन द्वारा कानून दो श्रेणियों में आता है। अर्थात् (i) जहाँ एक कानून विशिष्ट संदर्भ द्वारा किसी अन्य क़ानून के प्रावधानों को शामिल करता है जैसा कि अभिग्रहण के समय था और (ii) जहां एक क़ानून सामान्य संदर्भ द्वारा शामिल होता है। किसी विशेष विषय से संबंधित कानून का एक वर्ग होता है। पूर्व मामले में, संदर्भित क़ानून में किए गए बाद के संशोधनों को स्वचालित रूप से अपनाने वाले क़ानून में नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी श्रेणी में यह माना जा सकता है कि विधायी आशय मूल कानून में समय-समय पर सामान्य संदर्भ द्वारा अपनाए गए विषय पर किए गए सभी बाद के संशोधनों को शामिल करना था।

पूर्ववर्ती मामले में, जिस क़ानून को संदर्भित किया गया है, उसमें संशोधन, निरसन या पुनः अधिनियमन का उस क़ानून पर भी प्रभाव पड़ेगा जिसमें इसे संदर्भित किया गया है; लेकिन बाद के मामले में निगमन क़ानून में संशोधन या निरसन द्वारा परिवर्तन का निगमित क़ानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह नियम कि किसी अधिनियम का निरसन या संशोधन, जिसे बाद के अधिनियम में शामिल किया गया है, बाद के अधिनियम या उसमें शामिल प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, चार अपवादों के अधीन है। वे हैं (i) जहां दोनों अधिनियम समरूपता में हैं (iii) जहां पहले के अधिनियम का संशोधन यदि बाद के अधिनियम में आयात नहीं किया जाता है तो यह पूरी तरह से अक्रियाशील हो जाएगा और (iv) जहां पहले के अधिनियम का संशोधन या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक

इरादे से बाद के अधिनियम को शामिल करता है। भले ही पहले के अधिनियम की केवल विशेष धाराओं को बाद के क़ानून में शामिल किया गया हो, लेकिन निगमित प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए है, पूर्ववर्ती कानून के अन्य भागों, जो निगमित नहीं है, का संदर्भ आवश्यक व अनुमोदित हो सकता है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्ववर्ती अधिनियम में परंतुक या अपवाद की प्रकृति का कोई प्रावधान जो निगमन द्वारा नहीं लाया गया है, उसे इस तरह से पढ़ा जा सकता है जो निगमित प्रावधान के अर्थ को सीमित कर दे। पूर्ववर्ती कानून के अन्य प्रावधानों का संदर्भ केवल शामिल किए गए प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनुमत है।

लॉर्ड एशर एम.आर. के रोशन करने वाले शब्दों मेंः "यदि कोई अनुवर्ती अधिनियम पूर्व अधिनियम के कुछ खंडों को अपने संदर्भ में लाता है, तो उसका कानूनी प्रभाव, जैसा कि अक्सर माना जाता है, उन धाराओं को नए अधिनियम में लिखना है जैसे कि वे वास्तव में कलम से उसमें लिखे गए थे, या उस पर मुद्रित किए गए थे। (देखें वुड्स एस्टेट, एक्स पार्टी, वर्क्स एंड बिल्डिंग्स कमिश्नर (1986) 31 सीएच. डी. 607)

इसके अलावा निगमित अधिनियम के स्पष्ट आशय को पूर्ववर्ती अधिनियम के ऐसे प्रावधानों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता जिन्हें शामिल नहीं किया गया है। निगमित प्रावधान की व्याख्या में, न्यायालय

को कभी-कभी निगमित क़ानून के संदर्भ में विवरणों में भिन्नताएं तैयार करने की आवश्यकता होती है। निगमन द्वारा विधान की योग्यता संक्षिप्त है जो कभी-कभी कठिनाइयों और अस्पष्टताओं जिनके पैदा होने की संभावना है, द्वारा असंतुलित होती है।

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एण्ड लाॅकल गर्वनमेंट बनाम हार्टनेल (1965) 1ऑल ई. आर.490 (एच. एल.), में यह निर्धारित किया गया कि अधिनियम काे संदर्भ द्वारा निष्प्रभावी करने और स्पष्टता की कीमत पर संक्षिप्तता को स्थापित करने का प्रयास दुखद आधुनिक प्रवृत्ति है।

5.5.1984 दिनांकित पत्र का क्या प्रभाव है और कट ऑफ तिथि निर्धारित करने के लिए निगम के प्राधिकरण, यदि कोई हो पर इसका प्रभाव क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं की गई है।

अन्य अपीलों में उठाए गए सामान्य प्रश्नों के अलावा, एक अन्य प्रश्न जिस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि उत्तरदाताओं से इस आधार पर कुछ राशि वसूल करने की मांग की गई थी कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से अधिकराशि का भुगतान किया गया था। राशि की वसूली के प्रयास का प्रतिवादी-कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया था, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसने पहली बार में उनके द्वारा दायर अभ्यावेदनों के निपटारे का निर्देश दिया था। नए सिरे से विचार करने पर, वसूली के आदेश पारित किए गए।

वसूली के निर्देश के लिए लिया गया आधार था कि वेतन का गलत निर्धारण किया था। इसे फिर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि 1974 में वेतन तय किया गया था और रिट याचिकाकर्ता किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वेतन का निर्धारण, राशि की वसूली को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा असामयिक माना गया था। रिट अपील को भी खारिज कर दिया गया। अन्य अपीलों में उठाए गए प्रश्नों के अलावा, निगम ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को वापस नहीं लेने के लिए कहा है। पक्षों की ओर से विद्वान वकील को सुनने और विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में लेने पर, जिन्हें उच्च न्यायालय ने भी ध्यान में लिया, कर्मचारियों को कथित रूप से अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्देशों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अन्य मुद्दों की उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से जांच की जाएगी।

अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है लेकिन परिस्थितियों में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं।

एन. जे. अपीलों का निपटारा किया गया।

नोटः-यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विपिन बिश्नोई,आर.जे.एस. प्रधान मजिस्ट्रेट,किशोर न्याय बोर्ड, बीकानेर द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।